भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6357

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएम-ईबस सेवा योजना के लिए पात्रता मानदंड

6357. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः

श्री दर्शन सिंह चौधरीः

श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना में भाग लेने के लिए शहरों और राज्यों के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकार हरित शहरी गतिशीलता पहल के अंतर्गत लगाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों के दैनिक परिचालन, सेवा की गुणवत्ता और उपयोग की किस प्रकार निगरानी कर रही है;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से छोटे और मझौले शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को मजबूत किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नर्मदापुरम और नरसिंहपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में विद्युत बस सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है क्योंकि बड़ी संख्या में दैनिक यात्रियों, किसानों, श्रमिकों और छात्रों को अनिवार्य रूप से किफायती और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है और चयनित शहरों में आवंटित इलेक्ट्रिक बसों को पूर्ण रूप से तैनात करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) और (ङ) पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की 3 लाख से कम आबादी वाली राजधानियों, पहाड़ी राजधानियों, उत्तर

पूर्वी राज्यों की राजधानियों के साथ-साथ 3-40 लाख के बीच की आबादी वाले शहर और निकटवर्ती छोटे सांविधिक कस्बों के समूह इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं। इस योजना के तहत, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 116 शहरों के लिए 10,000 वातानुकूलित ई-बसों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत कवर की गई बसों के लिए सिविल डिपो और बिहाइंड द मीटर (बीटीएम) पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

योजना के तहत चलाई जा रही बसों के दैनिक बस संचालन की निगरानी संबंधित शहर की जिम्मेदारी है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत चलाई गई बसों के दैनिक प्रचालन की निगरानी करने में शहरों की सहायता करने के लिए इस योजना में एक केन्द्रीय इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) प्लेटफार्म विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, मेट्रो और गैर-मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण" नामक एक उप-योजना शीर्ष के तहत, शहरों को उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी)/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने/अनुसंधान अध्ययन आदि से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

इस योजना में भाग लेने वाले शहरों द्वारा सभी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अनुमानित समय-सीमा के रूप में 31 मार्च 2027 की परिकल्पना की गई है, जो संबंधित डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य के पूरा होने के अधीन है, जो संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों ने पीएम-ई-बस सेवा योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरों की पात्रता के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदापुरम और नरसिंहपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।
